फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री वेणीराम डांगी
किस्म मुकदमा :– 53, 188 R.T.A.

विपक्षी :– श्रीमती गंगाबाई डांगी
पत्रावली संख्या :– 57/25 (वाद पत्र)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/121

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.01.2026– पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर सुनी गई। हमने विद्ववान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को पृथक दर्ज करने का निवेदन किया। वादी के नाम वादग्रस्त भूमि जिस नामान्तरकरण से दर्ज हुई थी, वह नामान्तरकरण दौराने वाद निरस्त हो जाने से वादी का नाम वादग्रस्त भूमि से विलोपित हो गया। जिसके कारण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी में वादी का नाम अंकित नही रहा। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नही होने से प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नही होने से वादी को वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का कोई अधिकार नही है। इसलिए वादी का वाद खारिज किया जावे। वादी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के जवाब के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की वाद प्रस्तुती के समय वादी का नाम जमाबंदी में दर्ज होने से केवल मात्र बंटवाड़े एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। दौराने वाद पत्र नामान्तकरण की अपील स्वीकार होने से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया। वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा निहित होने से वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. प्रस्तुत कर वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष भी जोड़े जाने बाबत निवेदन कर किया गया है। वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. स्वीकार हो जाने से वादी के वाद में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा की अनुतोष भी समाहित हो जायेगी। ऐसे में वादी का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज नही किया जा सकता है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में भी वाद न्यायालय में विचाराधीन है। जो प्रतिवादी संख्या 6 एवं लोगरी पिता देवा के मध्य वादग्रस्त भूमि के घोषणा के संबंध में है। पूर्व में विचाराधीन वाद में यह तय किया जाना है कि वादग्रस्त भूमि में लोगरी का हक हिस्सा है या नही? या लोगरी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि की घोषणा प्रतिवादी संख्या 6 नारायणलाल के पक्ष में की जा सकती है या नही? अर्थात पूर्व के वाद में लोगरी पिता देवा के हिस्से को चुनौती दे रखी है। उसके पश्चात भी लोगरी द्वारा वाद के विचाराधीन रहते हुए ही वादी के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर दिया गया। जिसके आधार पर वादी द्वारा बंटवाडे का वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। वादी इसी वाद में घोषणा की दाद जुड़वाना चाहता है। जबकि न्यायालय का मानना है कि लोगरी के हक हिस्से संबंधी पूर्व से ही वाद विचाराधीन है तथा उसी हक हिस्से के लिए पुनः वाद प्रस्तुत किया जाना उचित नही है। ऐसे में इस वाद में घोषणा की दाद नही जोड़ी जा सकती है। फिर भी वादी चाहे तो प्रतिवादी संख्या 6 एवं लोगरी के मध्य पूर्व से विचाराधीन वाद में पक्षकार बनकर अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात वादग्रस्त भूमि में लोगरी का हिस्सा तय हुए बिना सीधे ही वादी का हक हिस्से तय नही हो सकते है। ऐसे में वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से बाधित है। न्यायालय का यह भी मानना है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 6 एवं लोगरी के मध्य वाद एवं अपील विचाराधीन है। इस तथ्य की जानकारी भलीभांति वादी को भी थी। क्योंकि नामान्तकरण की अपील में वादी भी पक्षकार था। उसके पश्चात भी वादी द्वारा वाद पत्र में पूर्व में प्रस्तुत वाद एवं अपील के संबंध में कोई तथ्य अंकित नही किया, अर्थात वादी द्वारा स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत नही किया गया। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत सद्भावना पूर्वक विवेचन किया जाना उचित है जो इस प्रकार है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

(Rajasth[illegible] Court)

S[illegible] Pu[illegible]

Vers[illegible]

Lalki an[illegible] [illegible]other

S.B. Civil Writ Pet[illegible] No. 3698 of 1996, decided on 16th April, 1999

Constitution of India, Art. 226-Relief - The persons who do

not come before the Court with clean hands are not entitle for any relief even if they have got a good case on merits Secondly there was an alternative and efficacious remedy available and he has availed it, this petition is re-quired to be dismissed. (Paras 9, 10 & 12)

Writ petition dismissed..

उक्त न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट है कि जब वादी स्वच्छ हाथ लेकर न्यायालय में नही आता है तो भले ही गुणावगुण पर उसका मामला उचित हो, उसे कोई अनुतोष नही मिलना चाहिए। वादी इस प्रकरण में भी प्रकरण से संबंधित तथ्य छुपाकर न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना चाहता था। जो उचित नही है। न्यायालय का मानना है कि वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम अंकित नही है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय में वर्णित प्रावधानो के अनुसार सहखातेदार ही वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवा सकता है। इसलिए भी वादी का वाद चलने योग्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 11 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में वर्णित प्रावधानो से भी बाधित होने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible] जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत : सहायक कलक्टर (**SDO**) मावली
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

<u>उनवान</u>

1. श्री वेणीराम पिता श्री कन्ना, जाति डांगी, उम्र 50 वर्ष, निवासी गोविन्दपुरा, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)

...........वादीगण

बनाम

1. श्रीमती गंगा बाई पत्नी श्री दोलतराम जी, जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी राणाकुई, तह० वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री चेनराम पिता श्री ऊंकार जी. जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी श्री शंकरलाल जी, जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री दल्ला पिता श्री सामा जी, जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती नक्का बाई पत्नी श्री रामलाल जी जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री नारायणलाल पिता श्री देवा जी. जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती नारायणी पत्नी श्री देवीलाल जी. जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मोती बाई पत्नी श्री किशनलाल जी, जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री शंकर पिता श्री गणेश जी, जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली. तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती चन्दरी बाई पत्नी श्री माना जी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री मोहन पिता श्री वरदा जी. जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी विठोली तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती अमरी पुत्री ऊंकार जी, पत्नी श्री बाबुलाल जी, उम्र वयस्क, निवासी सालेराकला, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती अमरी पुत्री श्री दीपा जी पत्नी श्री डाल जी. जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी गन्दोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्री तुलसीराम पिता श्री धन्ना जी, माता श्रीमती भोली बाई, जाति डांगी. उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री धन्ना पिता श्री सवा जी पत्नी श्रीमती भोली बाई जाति डांगी उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती नीरू पत्नी श्री प्रकाश जी, माता भोली बाई, जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती नाथी बाई पत्नी श्री उदयलाल जी, माता श्रीमती भोली बाई. जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी आसना, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज.)
18. श्री जोधराज पिता श्री केशुलाल पालीवाल, जाति ब्राहमण, उम्र वयस्क, निवासी जिंक कॉम्पलेक्स, झरानो की सराय, देबारी, तह० गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्री रामलाल पिता श्री चेनराम जी. जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विठोली, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested

............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा न0 : 57 / 25 (वाद)
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 121

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.01.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:37 IST
Reason: SelfAttested